राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ.2(1)डीओपी/ए–II/82/ पार्ट-II **जयपुर, दिनांक :** 08-11-2017

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची–I का संशोधन.– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची–I में शीर्ष ग्रुप क–IV [(पैरा चिकित्सा संवर्ग (चिकित्सा)] के अधीन विद्यमान कम संख्यांक 8 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया कम संख्यांक 9 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :–

" 9.	ईसीजी तकनीशियन	100%	–	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान या गणित में से किसी एक के साथ विज्ञान में सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य साथ में राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार /राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से ईसीजी तकनीशियन का दो वर्ष का डिप्लोमा ; और 2. राजस्थान पैरा चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत।	–	– "

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सुनील शर्मा) 8/11/17
संयुक्त शासन सचिव

55/2017